न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 12/109/2025 GCMS **संख्या:** 2025/398

पेश दिनांक: 07-10-2025 **निर्णय दिनांक:** 14-05-2026

1– अजय पुत्र अमर सिंह,
2– संजय पुत्र अमर सिंह जाति ब्राहम्मण निवासीयान ग्राम मुण्डनवाडा खुर्द तहसील तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– नायब तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2– सरकार जर्ये पटवारी हल्का करनीकोट ग्राम ग्राम मुण्डनवाडा खुर्द तहसील तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
3– रामावतार यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी ग्राम मुण्डनवाडा खुर्द तहसील तहसील मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्व नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 मुकदमा संख्या 01/2025 उनवान सरकार बनाम अयज वगै0

उपस्थिति:

1. श्री राजेश कुमार कांवट –वकील अपीलान्ट
2. विभागीय प्रतिनिधी –अभिलेखानुसार
2. कृष्ण कुमार सौनी –रेस्पोडेन्ट संख्या – 3

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 के विरूद्व पेश की गयी है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नं. 347 किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का अवैध अतिक्रमण मानते हुए अतिक्रमण हटाने, खड़ी फसल को हटाने तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अपील अपीलान्टान दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।
विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया गया है, कि तहत अदालत के समक्ष पटवारी हल्का करनीकोट द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुये रिपोर्ट पेश की गयी, रिपोर्ट में आराजी खसरा न0 347 कुल रकबा 0.04 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता में बाजरा ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है। आराजी खसरा 347 पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है, बल्कि अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 343 रकबा 0.26 है0, 344 रकबा 0.11 है0, 345 रकबा 0.09 है0 पर अपने हिस्से अनुसार काबिज व दाखिल चले आ रहे है। अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी मे मकानात बनाये हुये है, तथा अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। जिस रास्ते के बाबत अतिक्रमण बताया गया है, रास्ता मौके पर चालू है। कोई अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तथा उसके विरुद्ध पर्याप्त जांच किए बिना निर्णय दिया गया। यह भी कहा गया है, कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.09.2025 निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी रामावतार यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी मुण्डनवाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 पेश कर निवेदन किया गया है, कि आराजी खसरा न0 353, 354, 404 वाके ग्राम मुण्डनवाडा खुर्द प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, जिसमें खसरा न0 353 मे प्रार्थी ने रिहायशी मकान करीब 50 वर्षो से बना रखे है, तथा 354 में प्रार्थी के भाई ने रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 347 गैरमुमकिन रास्ता तथा खसरा न0 346 बंजड दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के मकानो तथा आराजी पर आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी हमेशा इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता रहा है, तथा अपीलान्ट के द्वारा आराजी खसरा न0 347 व 346 को मिसमार कर खत्म कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा न0 347 कदीमी रास्ता दर्ज है, जो प्रार्थी की आराजी में आवागमन करने व अन्य लोगो के आवागमन के उपयोग में सदैव से आ रही है। चूंकि रास्ता आवागमन को बांधित करने सम्बधित प्रकरण है, जिसमें प्रार्थी का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हित–निहित है एंव प्रार्थी आवश्यक व प्रोपर पक्षकार होने से प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया जावे। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 की नकल वकील अपीलान्ट को दिलायी गयी। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का जवाब पेश किया गया। जिसमें अंकित किया गया है, कि विचाराधीन अपील तहत अदालत द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट के विरूध निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय के विरूद्व अपील पेश की गयी है। जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का लेना देना संबंध सरोकार नही है, यदि प्रार्थी को कोई रास्ते के बाबत उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो प्रार्थी उसके लिये सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वंतत्र है। अपील में रास्ते बाबत कोई अधिकार तय नही होने है, अपील में अपीलान्टान के अधिकार तय होने है। ऐसी सूरत में किसी तीसरे व्यक्ति को अपील में कानून पक्षकार मुकदमा नही बनाया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 खारिज किया जावे। प्रकरण में प्रार्थी रामावतार यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी मुण्डनवाडा खुर्द तहसील मुण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 पेश कर पक्षकार मुक़दमा बनाये जाने का अनुरोध किया गया है, यद्यपि प्रार्थी रामावतार यादव आवश्यक पक्षकार नही है, परन्तु उसका उचित पक्षकार होना प्रकट होता है। फलतः प्रार्थी रामावतार यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी मुण्डनवाडा खुर्द तहसील मुण्डावर द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाता है, आदेश दिया जाता है, कि प्रार्थी प्रार्थी रामावतार यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी मुण्डनवाडा खुर्द तहसील मुण्डावर को रेस्पोडेन्ट की जंद में क्रम संख्या 3 पर पक्षकार मुकदमा दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस का मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा 347 पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है, बल्कि अपीलान्ट की आराजी खसरा न0 343 रकबा 0.26 है0, 344 रकबा 0.11 है0, 345 रकबा 0.09 है0 पर अपने हिस्से अनुसार काबिज व दाखिल चले आ रहे है। अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी मे मकानात बनाये हुये है, तथा अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। जिस रास्ते के बाबत अतिक्रमण बताया गया है, रास्ता मौके पर चालू है। कोई अतिक्रमण नही है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत के द्वारा पटवारी हल्का करनीकोट द्वारा सम्वत 2082 आराजी खसरा न0 347 रकबा 0.04 किस्म गैरमुमकिन रास्ते की आराजी में से 0.02 है0 में अतिक्रमी अजय, संजय पुत्रान अमर सिंह जाति बाहम्ण साकिन देह द्वारा अवैध अतिक्रमण कर बाजरा, ज्वार की फसल काश्त किये जाने की रिपोर्ट पेश की गयी। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया पत्राली दिनाक 29.07.25 को नियत की गयी। नियत तिथि को अतिक्रमी तहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जिसका विवेचन कर तहत अदालत द्वारा दिनाक 08.09.2025 को निर्णय पारित किया गया है।

फलतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। यदि गैरमुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है, तो उसका हटाया जाना

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

आवश्यक है। गैरमुमकिन रास्ता भूमि को अतिक्रमणमुक्त रखना राजस्व प्रशासन का वैधानिक दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति हेतु पारित आदेश न्यायोचित है।

आदेश

1. अपीलान्टान अजय, संजय पुत्र अमर सिंह जाति ब्राहम्मण निवासीयान ग्राम मुण्डनवाडा खुर्द तहसील तहसील मुंडावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील खारिज की जाती है।
2. न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2025, मुकदमा संख्या 01/2025, यथावत कायम रखा जाता है।
3. संबंधित तहसीलदार/अधीनस्थ न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि विवादित भूमि से अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जाए तथा आवश्यक होने पर पुलिस सहायता प्राप्त कर आदेश की प्रभावी पालना कराई जाए।
4. यदि मौके पर खड़ी फसल अथवा अन्य अवरोध मौजूद हों, तो अधीनस्थ न्यायालय/राजस्व अमला नियमानुसार हटाने, कुर्की, नीलामी अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही करे।
5. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा